

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 24, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद पुत्र स्व. श्री दीनाराम ग्राम व पोस्ट मुरैना गाँव (न्यू कैलादेवी इण्डस्ट्री के पीछे) जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) का मूल निवासी होकर वर्तमान में भोपाल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ. मेरे नाम के साथ अभिलेखों (शैक्षणिक व अन्य) में उपनाम नहीं लिखा है जो मुझे व मेरे परिवार को सोभ्य नहीं लगता. अब मैं अपने नाम के साथ गौरव उपनाम (विनोद गौरव पुत्र स्व. श्री दीनाराम) प्रयोग करूंगा. अतः मेरे व्यक्तिगत समस्त अभिलेखों के साथ समस्त शासकीय, अशासकीय पत्र व्यवहारों में मुझे विनोद गौरव पुत्र स्व. श्री दीनाराम के नाम से ही सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

(विनोद)

पुत्र-स्व. श्री दीनाराम,

(VINOD)

S/o Late Shri Deenaram.

नया नाम :

(विनोद गौरव)

पुत्र-स्व. श्री दीनाराम,

(VINOD GAURAV)

S/o Late Shri Deenaram,

ग्राम व पो. मुरैनागांव (न्यू कैलादेवी इण्डस्ट्री के पीछे)

जिला मुरैना (म.प्र.).

(537-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मेघा गुप्ता है, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में लिखा है, किन्तु मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम मेघा अग्रवाल लिखा गया है, अतः सभी दस्तावेजों में मेरा उपनाम मेघा गुप्ता ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मेघा अग्रवाल)

(MEGHA AGARWAL)

नया नाम :

(मेघा गुप्ता)

(MEGHA GUPTA)

ई-400/401, शबरी नगर,

विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.).

(552-बी.)

नाम परिवर्तन

प्रदीप मालवीय Pradeep Malviya आत्मज श्री नन्द किशोर Nand Kihor, निवासी-म.नं. 145, नारायण नगर, भोपाल मेरा नाम प्रदीप कुमार दर्ज है। सभी दस्तावेजों को आज से मेरा नाम प्रदीप मालवीय अंकित हो गया है। इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रदीप कुमार)

(प्रदीप मालवीय)

(539-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी से पहले मेरा नाम गीता गलफटे पुत्री श्रीराम राव गलफटे था। शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती पूजा बारस्कर पत्नी श्री नामदेव बारस्कर हो गया है। अतः अब मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम श्रीमती पूजा बारस्कर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(गीता गलफटे)

(पूजा बारस्कर)

पता-सी-103, भेल संगम कॉलोनी,
बाग सेवनिया, भोपाल (म.प्र.).

(540-बी.)

नाम परिवर्तन

सार्वजनिक सूचनार्थ मेरा पुत्र पंकज कुमार तिवारी पुत्र श्री अजीत कुमार तिवारी, आयु वयस्क जो जन्म से ही मंदबुद्धि का है तथा स्वयं अपना कार्य करने में असमर्थ है। जिसका मैं अजीत कुमार तिवारी (पिता) प्राकृतिक संरक्षक हूँ, मेरे पुत्र का नाम पंकज लिखा हुआ है जबकि पूरा नाम पंकज कुमार तिवारी है। अतः अब मेरे पुत्र को नये नाम पंकज कुमार तिवारी से जाना एवं पहचाना जाये।

अजीत कुमार तिवारी,

द्वारा-पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक
पता—615 एन/2, सी-सेक्टर,
गोविन्दपुरा भेल, भोपाल (म.प्र.).

(541-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद नासिर अली खान था, जिसमें से मैंने अपना उपनाम हटाकर मोहम्मद नासिर अली कर लिया है। अब से मुझे मेरे नये नाम मोहम्मद नासिर अली से लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मोहम्मद नासिर अली खान)

(मोहम्मद नासिर अली)

(MOHAMMED NASIR ALI KHAN)

(M. NASIR ALI)

H.No. 28 Naveen Nagar,
Bhopal (M.P.).

(549-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में मेरा घर का नाम सिमार अलीशा अली था, जिसे हमने स्कूल में बदलकर सारा अलीशा खान कर लिया था। अतः मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे सही व नये नाम सारा अलीशा खान से ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(सिमार अलीशा अली)

(सारा अलीशा खान)

28, नवीन नगर, भोपाल (म.प्र.).

(550-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम क्रिमा सेन था, जिसे शादी के बाद बदलकर कल्याणी सिंह वर्मा कर लिया है। अतः मुझे मेरे नये नाम कल्याणी सिंह वर्मा से ही सभी जगह लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(क्रिमा सेन)

(कल्याणी सिंह वर्मा)

पत्नी श्री सुर्य प्रकाश सिंह वर्मा,
224-ए, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(551-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ होकर प्रारंभ से मेरा नाम कुमारी सुलोचना सिंह पिता श्री उत्पन्न कंचन सिंह था. मेरे क्रिश्चियन पिता श्री उत्पन्न कंचन सिंह एवं मेरी क्रिश्चियन माता श्रीमती प्रियवती सिंह का निधन हो जाने के पश्चात् वर्ष 2006 में मोहम्मद नसीर शेख, निवासी 213, आजाद नगर, इन्दौर द्वारा मुझे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया था. इस कारण मैंने भी अपनी स्वेच्छा से क्रिश्चियन धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था. मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के पश्चात् वर्ष 2006 से ही मैंने मेरा पूर्व नाम भी परिवर्तित कर सानिया शेख पिता मोहम्मद नसीर शेख रख लिया था.

वर्तमान में मेरे निर्वाचन पहचान पत्र, विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड), आयकर विभाग के पेनकार्ड एवं ड्रायविंग लायसेंस में मेरा मुस्लिम नाम सानिया शेख पिता मोहम्मद नसीर शेख दर्ज होकर मेरे परिचितों, परिवारजनों द्वारा मुझे इसी नाम से संबोधित किया जाता है एवं जाना जाता है. अतः सभी सम्बंधितों/सर्व-साधारण द्वारा मुझे मेरे वर्तमान नाम कुमारी सानिया शेख पिता मोहम्मद नसीर शेख से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी सुलोचना सिंह)

पिता स्व. उत्पन्न कंचन सिंह.

(538-बी.)

नया नाम :

(सुश्री सानिया शेख)पिता मोहम्मद नसीर शेख,
निवासी 655/26-ए काली पुलिया, आजाद नगर,
शिव मंदिर के पास मुसाखेड़ी रोड, इन्दौर.**नाम परिवर्तन**

मैं, मलय कुमार जैन पिता श्री देवेन्द्र कुमार जैन, वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में पदस्थ हूँ. मेरे सेवा अभिलेख एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मलय कुमार जैन तथा अंग्रेजी में स्पेलिंग MALAY अथवा MALEY अंकित है. मैंने स्वेच्छा से अपना नाम केवल मलय जैन (अंग्रेजी में MALOY JAIN) रखा है. अतः मुझे भविष्य में केवल मलय जैन (MALOY JAIN) के नाम से ही जाना एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम :

(मलय कुमार जैन)**(MALAY KUMAR JAIN)**

(555-बी.)

नया नाम :

(मलय जैन)**(MALOY JAIN)**सहा. पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.).**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी की पार्टनरशिप डीड फर्म के रूप में पंजीयक कार्यालय, फर्म एण्ड संस्थाएं, इन्दौर में पंजीयन क्रमांक 03/32/01/00067/11/1392, दिनांक 04-07-2011 से पंजीकृत है. यह कि दिनांक 25-11-2017 को फर्म के साझेदार निकहत खान पिता इल्यास खान, निवासी 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर फर्म की भागीदार नहीं रही हैं एवं फर्म में परविन्दर पिता हरजिन्दर, निवासी 377, खातीवाला टैंक, इन्दौर म.प्र. को फर्म में दिनांक 25-11-2017 को भागीदार के रूप में शामिल किया गया है तथा फर्म का नया संशोधित, पता 89, सुभाष मार्ग, इन्दौर किया गया है. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचनार्थ है.

मैसर्स सरवर एण्ड कम्पनी,

सरवर खान,

(पार्टनर)

(542-बी.)

आम सूचना

जय कपीस स्टोन क्रेशर के पार्टनरशिप से श्री अशोक सिंह, श्री कमलेश सिंह को दिनांक 16-10-2017 से पृथक् किया जाता है. शेष दो पार्टनर श्री अनसुइया सिंह, श्रीकान्त सिंह हेड बने रहेंगे.

जय कपीस स्टोन क्रेशर,

श्रीकान्त सिंह,

(पार्टनर)

(543-बी.)

ग्राम जोन्ही रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. आशुतोष कान्स्ट्रक्शन कम्पनी पंजीयन क्रमांक-00145, दिनांक 14-12-2010 से दिनांक 23-08-2011 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है, 1. श्री शिवेन्द्र पाण्डेय, 2. श्री आशुतोष पाण्डेय उक्त दिनांक से ही

फर्म में निम्न पार्टनरों को शामिल किया जाता है, 1. श्री राधेश्याम मिश्रा, 2. श्रीमती रत्ना पाण्डेय, 3. श्री हेमन्त कुमार मिश्रा, 4. श्री विवेक कुमार मिश्रा, 5. श्री आनन्द कुमार शुक्ला फर्म में द्वितीय परिवर्तन के रूप में दिनांक 01-04-2012 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है 1. श्री नियामुद्दीन, 2. श्री बालेन्द्र पाण्डेय, 3. श्री राधेश्याम मिश्रा, 4. श्रीमती रत्ना पाण्डेय, 5. श्री हेमन्त कुमार मिश्रा, 6. श्री विवेक कुमार मिश्रा, 7. श्री आनन्द कुमार शुक्ला, उक्त दिनांक से ही फर्म में पार्टनर श्री आशुतोष पाण्डेय को शामिल किया गया है, शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

मे. आशुतोष कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
स्वरूपानन्द पाण्डेय,
(पार्टनर)
ग्राम नगमा, पो. सितलहा,
तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.).

(544-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. शर्मा कान्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी तिलक नगर, रीवा (म.प्र.) से दिनांक 27-10-2017 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. 1. श्रीराम प्रताप शर्मा, 2. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, 3. श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, 4. श्रीमती राजेश्वरी शर्मा, 5. श्रीमती आशा शर्मा उक्त दिनांक से ही फर्म में पार्टनर श्री अनिल कुमार शुक्ला को शामिल किया गया है, शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

मे. शर्मा कान्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी,
देवेन्द्र कुमार शर्मा,
(भागीदार)
तिलक नगर, रीवा (म.प्र.).

(545-बी.)

PUBLIC NOTICE

U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is hereby noticed that M/s Madhuvan Associates registered office at, Shop No. 36, Kakda Abhinav Homes, Ayodhya By Pass Road, Bhopal is a partnership firm which was reconstituted on 1st August 2014 due to the retirement of the partner (1) **Shri. Tarun Inaniya S/o Late Shri. Jairam Inaniya the admission of the Partner (3) Shri. Arun Kumar Meena S/o Shri. Deshraj Singh Meena, Shri. Vijay Singh Meena S/o Shri. Deshraj Singh Meena & Ajay Singh Meena S/o Shri Deshraj Singh Meena both w.e.f 1st December 2016** by virtue of the deed of retirement cum admission executed amongst themselves on 28th December 2016.

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No.01/01/01/00254/14.

M/s. Madhuvan Associates,
DESHRAJ SINGH MEENA,
(Partner)

Shop No. 36, Kakda Abhinav Homes,
Ayodhya By Pass Road, Bhopal (M.P.).

(546-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मोहन कान्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित ई-124, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00046/14, दिनांक 05-06-2014 है. जिसमें दिनांक 27-11-2017 को भागीदार (1) राजवीर सिंह कौरव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह कौरव, (2) सत्यवीर सिंह कौरव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह कौरव, निवासीगण आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 27 नवम्बर, 2017 से चन्द्र मोहन पाण्डेय पुत्र श्री शिव शंकरलाल, निवासी ग्राम व पोस्ट पाता, जिला औरैया (उ.प्र.) फर्म में नवीन भागीदारों के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मोहन कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,
आदित्य कौरव,
(भागीदार)

ई-124, पटेल नगर, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(547-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s FAESINA FOR THE NEW ERA, having head office at Duplex No. 5 Anmol Duplex, Trimurti Nagar, Jabalpur (M.P.) is registered partnership firm. Shri Anish Jain and Shri Anubhav Kumar Jain joined the partnership on 31-05-2017 and on 28-09-2017 respectively. Now the partners of the firm are Shri Anubhav Kumar Jain, Smt. Nidhi Pandey, Shri Abhishek Usrethe And Shri Anish Jain. New Address- 16/A, Opposite SBI ATM, LORDGANJ, Jabalpur (M.P.). This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of firms and society.

M/s FAESINA FOR THE NEW ERA,
ABHISHEK USRETHE,
(Partner).

(548-B.)

PUBLIC NOTICE

FORMNO. URC-2

Advertisement giving Notice about Registration Under Part I of Chapter XXI**[Pursuant to section 374 (b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]**

1. Notice is hereby given in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013 an application has been made to the registrar at Ujjain that "Oswal Psyllium Exports" a partnership firm may be registered under Part-I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 as a company limited by shares.
2. The principal objects of the company are as follows:
To Carry on the business of Chemicals, Fertilizers seeds, Plants, Flowers, Vegetables, Fruits, Spices, Psyllium, Pulses, Grains, Poppy Seeds, Oil and their by products and fodder of all kinds and varieties Machinery, Plastic, Cement and preparation of any nature or description as manufactures producers, Farmers, Importers exporters, traders, millers, grinders, processors, cold storers, packing canners, preservers, buyers, sellers, marketers, researchers, dehydration and such other business or businesses incidental and connected therewith as the partners may decide from time to time.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at "Oswal House" Opposite Balkavi Bairagi College, Nasirabad Highway, Village Kanwati, Neemuch-458441.
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to Registrar at Ujjain within twenty one days from the date of publication of this notice with a copy to the company at its registered office.
5. It is hereby infrom that on 31-03-2009 when the firm was established with its Registration No. 07/34/01/00078/09 there were two partners (1. Anil Nahata and 2. Sanjay Baigani) in "Oswal Psyllium Exports, Neemuch" and later on 06-12-2017 five new partners 1. Kiran Begani, 2. Padma Nahata, 3. Kamlesh Nahata, 4. Anil Baigani, 5. Shree Oswal Seeds and Chemicals Limited have been introduce to "Oswal Psyllium Exports, Neemuch".

Dated this 6th day of December, 2017.

Applicants :—

1. Anil Nahata, 2. Sanjay Baigani, 3. Kiran Begani, 4. Padma Naahta,
5. Kamlesh Nahata, 6. Anil Baigani, 7. Shree Oswal Seeds And Chemicals Limited.

For Oswal Psyllium Exports,
SANJAY BAIGANI,
(Partner).

(554-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धर्मपाल सिंह राजावत, स्थित 40, शास्त्री नगर, कॉलोनी, भिण्ड (मध्यप्रदेश) है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/43/07/0228/17, दिनांक 04-12-2017 है। जिसमें दिनांक 01-04-2012 को (1) वीरसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, (2) वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बुद्धे सिंह, (3) बलराम जाटव पुत्र श्री मनफूले, (4) हरपाल सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह, (5) चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री हनुमन्त सिंह, (6) शिवनाथ सिंह पुत्र स्व. श्री सोबरन सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को श्रीमती अनीता सेंगर पत्नि श्री इन्द्रपाल सिंह सेंगर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई है तथा दिनांक 01-04-2017 को (1) सूर्य प्रताप सिंह सेंगर पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह सेंगर एवं वीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2017 से फर्म का नाम मैसर्स धर्मपाल सिंह राजावत के स्थान पर फर्म मैसर्स धर्मपाल सिंह कॉन्ट्रैक्टर हो गया है साथ फर्म का मुख्य कार्यालय शास्त्री नगर ए-ब्लॉक, भिण्ड से नवीन स्थान 03, बालाजी अपार्टमेंट, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में परिवर्तित हो गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स धर्मपाल सिंह राजावत,
धर्मपाल सिंह राजावत,
(भागीदार)

(553-बी.)

स्थित-40, शास्त्री नगर कॉलोनी, भिण्ड (म.प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय (राजस्व) झांसी रोड, जिला ग्वालियर

प्र.क्र./01/2017-18/बी-113.

ग्वालियर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

डॉ. बनमाला एण्ड रतनलाल अग्रवाल एजुकेशन ट्रस्ट, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक.....को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना को लोक न्यास दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक.....को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम, पता : | : | डॉ. बनमाला एण्ड रतनलाल अग्रवाल एजुकेशन ट्रस्ट,
05, श्रीराम कॉलोनी, जिला ग्वालियर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |

(1739)

प्र.क्र./02/2017-18/बी-113.

ग्वालियर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

बृह्म समाज हितकारी न्यास ट्रस्ट अध्यक्ष बालेन्द्र शुक्ल, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक.....को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक.....को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी अपत्ति का सुझाव करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता, सम्पत्ति का वर्णन)

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम, पता : | : | बृह्म समाज हितकारी न्यास ट्रस्ट अध्यक्ष बालेन्द्र शुक्ल,
पता झांसी रोड, ग्वालियर. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(1740)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर
(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री सकल पंच मारू प्रजापति समाज पंच समिति, पता-16-18, धानगली धर्मशाला (सत्यनारायण मंदिर), इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे अध्यक्ष/न्यासी श्री बंसीलाल बोरावड़ पिता श्री कन्हैयालाल बोरावड़, पता-469, वृंदावन कॉलोनी, इन्दौर के द्वारा श्री सकल पंच मारू प्रजापति समाज पंच समिति (म.प्र.) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | “श्री सकल पंच मारू प्रजापति समाज पंच समिति” |
| 2. पता | : | कार्यालय-16-18, धानगली धर्मशाला (सत्यनारायण मंदिर), इन्दौर (मध्यप्रदेश). |
| 3. चल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति में वर्तमान में राशि रुपये 1,55,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र) है। |
| 4. अचल संपत्ति | : | निरंक |

आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

(1452-C)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1742.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1992/1515, दिनांक 25 जून, 1992 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/ 2008/238, दिनांक 27 मार्च, 2008 से चित्रगुप्त नागरिक जन सेवा सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./135, दिनांक 07 सितम्बर, 1968 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा चित्रगुप्त नागरिक जन सेवा सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्रगुप्त नागरिक जन सेवा सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./135, दिनांक 07 सितम्बर, 1968 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कापोरेंट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1741)

विदिशा, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1743.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लश्करपुर, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./301, दिनांक 02 मई, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लश्करपुर, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लश्करपुर, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./301, दिनांक 02 मई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कापोरेंट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1742)

विदिशा, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1744.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/587, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से विदिशा सहकारी दुग्धालय संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./16, दिनांक 14 दिसम्बर, 1959 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा विदिशा सहकारी दुग्धालय संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदिशा सहकारी दुग्धालय संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./16, दिनांक 14 दिसम्बर, 1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1743)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 27 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/2313.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2)सी/ग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलोदा पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को आदेश क्रमांक 1447, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलोदा का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री आर. के. सोनी को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण कराये एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1766)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)सी/ग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री आर. के. सोनी को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लॉबित अंकेक्षण पूर्ण कराये एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1767)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 1727, दिनांक 04 अगस्त, 2011, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 412, दिनांक 16 अक्टूबर, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1768)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 835, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बागली, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 23 अक्टूबर, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1769)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक, पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेरखेडी	682/05-10-1989	1441/09-08-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेडी	1079/02-08-2004	1441/09-08-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेडाखान	583/05-11-1985	1441/09-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा	556/07-05-1984	1441/09-08-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पत्थरगुराडिया	270/29-07-1976	1441/09-08-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोदमण्डी	555/07-05-1984	1441/09-08-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिन्जाना	1104/11-10-2005	1441/09-08-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटाडी	614/30-11-1987	1441/09-08-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोठा	271/23-07-1970	1441/09-08-2017
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोदिया	1127/15-05-2006	1441/09-08-2017
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापगढ़	1413/11-03-2014	1441/09-08-2017
12.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास	1361/08-08-2013	1425/05-08-2017
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोना	660/25-08-1988	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, 320 पटवर्धन पेट्रोल पम्प के पास ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

संजय देवलालीकर,

कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1469.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	लक्ष्य साख संस्था, इन्दौर	193/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	गोलेक्सी ऑफ कॉलेज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	236/16-04-1985	700/23-06-2017
3.	गायत्री महिला उप. भण्डार, इन्दौर	1472/09-06-1994	700/23-06-2017
4.	अल्पा मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	58/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	अग्रोहा महिला उप. भण्डार, इन्दौर	1521/15-06-1994	700/23-06-2017
6.	ओमश्री भाग्य लक्ष्मी, इन्दौर	2391/07-10-2008	700/23-06-2017
7.	आजाद सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	198/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	ओमश्री सिद्धविनायक साख संस्था मर्या., इन्दौर	2438/09-03-2010	700/23-06-2017
9.	ओम श्री गणेश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	227/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	आदर्श नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
11.	आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	42/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	आदर्श बुनकर कॉटन हेण्डलूम सहकारी संस्था मर्या., हातोद	67/02-06-1989	700/23-06-2017
13.	आर. डी. दाल आधारिता उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
14.	आरक्षी प्रशिक्षण महा. भण्डार, इन्दौर	302/06-01-1966	700/23-06-2017
15.	आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द	2110/04-03-2003	700/23-06-2017
16.	अपंग वस्त्रोद्योग		700/23-06-2017
17.	अक्षय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	59/05-09-2013	700/23-06-2017
18.	नटराज बुनकर सह. संस्था मर्या., इन्दौर	796/18-10-1984	700/23-06-2017
19.	नवसर्वोदय साख संस्था, इन्दौर	2424/24-11-2009	700/23-06-2017
20.	नवजीवन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1751/19-12-1995	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं

करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1744)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1470.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सर्वेदय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
2.	सहकारी मुद्रणालय प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	18/25-09-1959	700/23-06-2017
3.	समता सहकारी प्रेस सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	249/29-02-1964	700/23-06-2017
4.	भाविका प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी प्राथ. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1969/22-04-2000	700/23-06-2017
5.	भारतीय प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	177/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	545/06-08-1991	700/23-06-2017
7.	माँ बिजासन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	546/05-10-1991	700/23-06-2017
8.	दुर्गा यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	591/20-05-1992	700/23-06-2017
9.	भावना यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	553/28-10-1992	700/23-06-2017
10.	विकास यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	569/03-02-1992	700/23-06-2017
11.	माँ कालका यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	558/03-02-1994	700/23-06-2017
12.	साहिल यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	556/17-04-1993	700/23-06-2017
13.	साईनाथ परिवहन को-ऑप. यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1716/01-03-1995	700/23-06-2017
14.	प्रियदर्शनी परिवहन यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	603/21-03-1996	700/23-06-2017
15.	कलसी ऑटोमोबाईल परिवहन सहकारिता	157/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	मारुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देपालपुर	2450/03-06-2010	700/23-06-2017
17.	श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनवाय	2488/10-02-2011	700/23-06-2017
18.	आदित्य एग्रो बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	2497/25-05-2011	700/23-06-2017
19.	विंध्याचल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली	2499/20-05-2011	700/23-06-2017
20.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमटा	2552/26-10-2012	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1745)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1471.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	न्यू उन्नती सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	151/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	जेमीनी महिला साख भण्डार, इन्दौर	2395/18-02-2009	700/23-06-2017
3.	जूनी इंदौर साख	75/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	जिव्हेश्वर साख संस्था मर्या., इन्दौर	82/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	जीवन सार्थक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
6.	जयगुरु साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2704/31-05-2014	700/23-06-2017
7.	जय महालक्ष्मी साख संस्था	2793/	700/23-06-2017
8.	जय अम्बे ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., रलायता		700/23-06-2017
9.	जय बालाजी साख, इन्दौर	202/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	चन्द्रवंशी खाती सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	156/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	वैश्य बाथली साहू समाज साख	2791/	700/23-06-2017
12.	वाल्मिकी मत्स्य जलकृषि संस्था मर्या., नैनोद	2139/13-02-2004	700/23-06-2017
13.	देव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	60/05-09-2013	700/23-06-2017
14.	दीक्षा महिला भण्डार, इन्दौर	1936/24-02-1999	700/23-06-2017
15.	द सहकारी ग्राम उद्योग विकास सह. संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017

1	2	3	4
16. उत्तम साख		256/05-09-2013	700/23-06-2017
17. उज्जवल साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर		2673/07-03-2014	700/23-06-2017
18. उज्जवल ईट-भट्टा सह. संस्था मर्या., इन्दौर		1109/21-10-1991	700/23-06-2017
19. उदय साख संस्था, इन्दौर		243/05-09-2013	700/23-06-2017
20. सेवा स्टेशनरी बाईडिंग सह. संस्था मर्या., इन्दौर		208/04-03-1991	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1746)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1472.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अभिनंदन फर्नीचर फेब्रीकेशन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	840/31-12-1986	700/23-06-2017
2.	विश्वास महिला को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., इन्दौर	709/17-02-1986	700/23-06-2017
3.	हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	829/21-07-1986	700/23-06-2017
4.	गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	330/01-01-1969	700/23-06-2017
5.	गैलेक्सी ऑफ नॉलेज को-ऑप. सोसायटी मर्या., इन्दौर	806/16-04-1985	700/23-06-2017
6.	अनमोल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1948/31-05-1999	700/23-06-2017
7.	लक्ष्मी गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	408/21-12-1973	700/23-06-2017
8.	जनजीवन नलकूप खनन कामगार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1683/19-01-1994	700/23-06-2017
9.	नवजीवन श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1655/11-10-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
10.	संस्कृति हस्तशिल्प महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	830/	700/23-06-2017
11.	फैशन क्रिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2231/08-08-2006	700/23-06-2017
12.	सुराज पैकिंग बॉक्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2330/11-06-2007	700/23-06-2017
13.	आस्था कागज निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2332/11-06-2007	700/23-06-2017
14.	देवझिरी क्रय-विक्रय स्टेशनरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2333/11-06-2007	700/23-06-2017
15.	सत्यमित्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1948/	700/23-06-2017
16.	इन्दौर हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	28/22-07-1998	700/23-06-2017
17.	श्री गणेश आदिवासी गिट्टी-पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2399/23-05-2009	700/23-06-2017
18.	देवी अहिल्या रेल्वे पार्सल श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2521/14-02-2013	700/23-06-2017
19.	स्वराज प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी प्रोड्यूसर्स सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	60/29-05-1989	700/23-06-2017
20.	श्री लालबहादुर शास्त्री मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	321/18-01-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1747)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1473.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सिटी क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2496/02-04-2011	700/23-06-2017
2.	श्री गणेश वसकार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2541/20-06-2012	700/23-06-2017
3.	श्री साईनाथ समर्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2544/31-08-2012	700/23-06-2017

1	2	3	4
4.	एस. आई. एल. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2569/24-01-2013	700/23-06-2017
5.	श्री सरस्वती महिला उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2520/02-02-2012	700/23-06-2017
6.	तरुण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1907/09-08-1998	700/23-06-2017
7.	त्रिमूर्ति सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
8.	वीर शहीद टंट्या मामा भील सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2563/13-12-2012	700/23-06-2017
9.	यंग देहलवी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2432/01-01-2010	700/23-06-2017
10.	श्री गणेश रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	768/25-06-1984	700/23-06-2017
11.	देवी अहिल्या सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	776/14-10-1982	700/23-06-2017
12.	इन्दौर रेडिमेड वस्त्र उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	577/20-11-1981	700/23-06-2017
13.	मालवा रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	813/23-09-1985	700/23-06-2017
14.	सिद्धेश्वर रेडिमेड सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	894/26-11-1988	700/23-06-2017
15.	प्रेरणा रेडिमेड होजयरी सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	821/19-12-1985	700/23-06-2017
16.	विश्वास ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1118/22-11-1991	700/23-06-2017
17.	महिला अगरबत्ती उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	379/20-05-1992	700/23-06-2017
18.	साईनाथ सिलाई वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	822/31-12-1985	700/23-06-2017
19.	शारदा श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1139/11-05-1992	700/23-06-2017
20.	महिला गृह उद्योग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	45/18-05-1989	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1748)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1474.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से

की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	55/12-08-2002	700/23-06-2017
2.	ममता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	68/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	73/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	कात्या बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	90/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	91/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	सरदार बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्यादित	92/05-09-2013	700/23-06-2017
7.	श्री गजानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	102/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	विनायक बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	104/05-09-2013	700/23-06-2017
9.	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	192/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	सहारा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	271/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनगंज	2051/11-02-2002	700/23-06-2017
12.	शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मिर्जापुर	2064/28-02-2002	700/23-06-2017
13.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिचौली हप्सी	2069/27-03-2002	700/23-06-2017
14.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., असरावद खुर्द	2072/10-04-2002	700/23-06-2017
15.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कैलोद	2097/31-10-2002	700/23-06-2017
16.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरछा	2098/31-10-2002	700/23-06-2017
17.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जोशी गुराडिया	2112/28-03-2003	700/23-06-2017
18.	शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया, महु	2117/24-04-2008	700/23-06-2017
19.	देवी अहिल्या शक्तिपुंज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राउ	2155/18-05-2004	700/23-06-2017
20.	प्राथ. कृषि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हातोद	2551/18-10-2012	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1475.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सेवक महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., इन्दौर	1623/10-08-1994	700/23-06-2017
2.	सत्यमित्र व्यापारिक सुरक्षा सेवा सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2650/07-03-2014	700/23-06-2017
3.	सत्यमित्र मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	170/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	सत्यम ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
5.	सुखलिया सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	169/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	सुखमणी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2701/22-04-2014	700/23-06-2017
7.	सुख शांति साख संस्था मर्या., इन्दौर	2161/16-09-2004	700/23-06-2017
8.	सूर्यासखी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2679/07-03-2014	700/23-06-2017
9.	सर्वे ऑफ इण्डिया कर्मचारी संघ	719/22-07-1983	700/23-06-2017
10.	स्वदेश मिल्स सह. साख सह. संस्था	690/23-09-1983	700/23-06-2017
11.	सर्वोदय महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1609/28-07-1994	700/23-06-2017
12.	स्व. श्री राजेश जोशी स्मृति साख, इन्दौर	242/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	स्वमहिला साख, इन्दौर		700/23-06-2017
14.	सालासार जय बालाजी साख	261/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	सोना लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2658/07-03-2014	700/23-06-2017
16.	सोनिया गाँधी अल्पसंख्यक पि. वर्ग साख सहकारी संस्था इन्दौर	1908/07-08-1998	700/23-06-2017
17.	सोनिया गाँधी अल्पसंख्यक पि. वर्ग साख संस्था, इन्दौर	1908/07-08-1998	700/23-06-2017
18.	सावित्री महिला भण्डार, इन्दौर		700/23-06-2017
19.	श्री सार्थक साख सहकारी मर्या., इन्दौर	289/05-09-2013	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं करने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के

पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1750)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1477.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री दुर्गा शक्ति सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2668/07-03-2014	700/23-06-2017
2.	श्री साईं साख संस्था मर्या., इन्दौर	40/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	श्री रामचन्द्र साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2657/07-03-2014	700/23-06-2017
4.	श्री लीलाशाह साख संस्था मर्या., इन्दौर	50/05-09-2013	700/23-06-2017
5.	दि नर्मदा साख संस्था मर्या., इन्दौर	1651/27-08-1994	700/23-06-2017
6.	श्री वैष्णव साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1522	700/23-06-2017
7.	श्री व्यंकटेश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0196/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	श्री सूयवंशी साख	70/05-09-2013	700/23-06-2017
9.	श्री सर्वोदय साख संस्था, इन्दौर	2402/04-06-2009	700/23-06-2017
10.	श्री सद्गुरु साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0282/05-09-2013	700/23-06-2017
11.	श्री सियागंज साख संस्था मर्या., इन्दौर	0049/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	श्री सिद्धेश्वर म. प्राथमिक भण्डार, इन्दौर		700/23-06-2017
13.	श्री शिवमहालक्ष्मी साख संस्था मर्या., इन्दौर	197/05-09-2013	700/23-06-2017
14.	श्री मालवीय साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	228/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	श्री महावीर कृपा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0051/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	श्री महिला साख संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
17.	श्री कांशीराम साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0117/05-09-2013	700/23-06-2017
18.	श्री बीसा साख	0257/05-09-2013	700/23-06-2017
19.	श्रम विभा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
20.	रणजीत बुनकर संस्था मर्या., इन्दौर	568/18-08-1980	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं करने, अभिलेख

तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षान्वित होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1751)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1479.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	किसान इरिगेशन सह. साख संस्था मर्या., इन्दौर	2670/07-03-2014	700/23-06-2017
2.	त्रिवेणी साख	1197/16-02-1994	700/23-06-2017
3.	मेक्सलाईन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	166/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना स्टॉफ साख, बरलाई	621/02-02-1981	700/23-06-2017
5.	कशिश साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	195/05-09-2013	700/23-06-2017
6.	कमदगिर साख, इन्दौर	199/05-09-2013	700/23-06-2017
7.	कृषि महाविद्यालय कर्मचारी, साख	263/05-09-2013	700/23-06-2017
8.	बैरवा गुरु संत बालाजी साख संस्था, इन्दौर	2403/05-06-2009	700/23-06-2017
9.	बुनकर सह. साख संस्था मर्या., देपालपुर		700/23-06-2017
10.	बालाजी मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2129/28-11-2003	700/23-06-2017
11.	बालराजे साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	224/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	बालकृष्ण सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	152/05-09-2013	700/23-06-2017
13.	बाबा रामदेव श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1136/22-04-1992	700/23-06-2017
14.	बरखा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	126/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	इन्दौर व्यापारी साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	86/05-09-2013	700/23-06-2017
16.	इन्दौर मर्केन्टाईल साख सह. संस्था मर्या., साँवेर	10/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	इण्डस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव्ह		700/23-06-2017
18.	ऊँ विनायक साख	259/05-09-2013	700/23-06-2017

1	2	3	4
19.	क्षत्रिय मराठा साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	25/05-09-2013	700/23-06-2017
20.	खाद्यपेय वितरण साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1752)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1480.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 22 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	युनियन साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	45/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	युगान्तर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1133/24-03-1992	700/23-06-2017
3.	यशस्विनी महिला साख	0064/05-09-2013	700/23-06-2017
4.	यश ऑफ इंडियन्स अध्ययन भ्रमण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2649/07-03-2014	700/23-06-2017
5.	एम. ई. एस. कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	508/03-05-1977	700/23-06-2017
6.	एकदन्ताय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
7.	वेदमाता गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2045/03-07-2001	700/23-06-2017
8.	सागर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2024/13-02-2001	700/23-06-2017
9.	शुभलाभ साख	0071/05-09-2013	700/23-06-2017
10.	शुभनिधि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
11.	शुभ शिवानी साख, इन्दौर	0200/05-09-2013	700/23-06-2017
12.	शाने हिन्द महिला साख संस्था मर्या., इन्दौर	44/05-09-2013	700/23-06-2017

1	2	3	4
13.	शहरी कामगार महिला साख, इन्दौर	2428/30-12-2009	700/23-06-2017
14.	शशि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0055/05-09-2013	700/23-06-2017
15.	रायकवार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	239/04-05-2001	700/23-06-2017
16.	श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी सर्व विकास साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	0164/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	प्रार्थना साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर		700/23-06-2017
18.	माँ उमिया महिला साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2041/15-05-2001	700/23-06-2017
19.	बाणगंगा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2014/12-12-2014	700/23-06-2017
20.	धनेश मर्केन्टाईल साख संस्था, इन्दौर		700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में "द" वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1753)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1481.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रथम क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2550/18-10-2012	700/23-06-2017
2.	रजनी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	901/03-05-1989	700/23-06-2017
3.	राजपूत समाज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2378/09-06-2008	700/23-06-2017
4.	सानंद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2011/25-11-2000	700/23-06-2017
5.	सत्यमित्र सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1797/17-09-1996	700/23-06-2017
6.	श्री संत नरहरि सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1730/12-07-1995	700/23-06-2017

1	2	3	4
7.	श्री दामोदरवंशीय गुजराती समाज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	328/04-04-1956	700/23-06-2017
8.	संजय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	582/27-04-1981	700/23-06-2017
9.	सर्वोदय विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1147/06-08-1992	700/23-06-2017
10.	श्री साईं कृपा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1819/27-02-1997	700/23-06-2017
11.	श्री सत्य साईं सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1852/30-07-1997	700/23-06-2017
12.	सर्वे ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	719/22-07-1983	700/23-06-2017
13.	साहू राठौर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1666/20-10-1994	700/23-06-2017
14.	सूर्य प्रकाश मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	360/11-01-1971	700/23-06-2017
15.	शासकीय महाविद्यालय कर्म. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1677/29-12-1994	700/23-06-2017
16.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1772/26-03-1996	700/23-06-2017
17.	सुदामा नगर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1860/11-09-1997	700/23-06-2017
18.	श्री लाभ ऐश्वर्या सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1946/19-04-1999	700/23-06-2017
19.	श्री भैरव शक्ति सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2495/08-03-2011	700/23-06-2017
20.	श्री सर्वोदय सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2402/04-06-2009	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1754)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1482.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जोबनेट सब. सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2284/13-12-2006	700/23-06-2017

1	2	3	4
2.	जय अम्बे सहकारी साख संस्था मर्या., मुसाखेडी, इन्दौर	2509/16-06-2011	700/23-06-2017
3.	जय माँ काली सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2517/14-12-2011	700/23-06-2017
4.	जशगुप कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2548/05-10-2002	700/23-06-2017
5.	मित्र सहयोग सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1833/07-05-1997	700/23-06-2017
6.	माँ शारदा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1200/02-03-1994	700/23-06-2017
7.	माँ बिजासन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1150/05-09-1992	700/23-06-2017
8.	मालवा मिल क्षेत्र व्यापारियों की सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1090/04-09-1991	700/23-06-2017
9.	मेवाडा कुमावत सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
10.	मातृछाया सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2471/29-12-2010	700/23-06-2017
11.	माँ दुर्गा व्यापारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2436/23-02-2010	700/23-06-2017
12.	मानव सेवा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2376/05-06-2008	700/23-06-2017
13.	नवीन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2074/22-04-2002	700/23-06-2017
14.	नागरिक विकास सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1975/24-02-2000	700/23-06-2017
15.	न्यू लक्की सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2454/18-08-2010	700/23-06-2017
16.	नीलकण्ठेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	275/05-09-2013	700/23-06-2017
17.	ऊँ साईं राम सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2467/24-11-2010	700/23-06-2017
18.	ऊँ श्री महाकालेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2377/06-06-2008	700/23-06-2017
19.	प्रेस्टिज सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1132/27-02-1992	700/23-06-2017
20.	प्रखर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2645/04-10-2010	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1755)

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1483.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्माकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था

कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1071/19-07-1991	700/23-06-2017
2.	आधार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2519/02-02-2012	700/23-06-2017
3.	भारतीय महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1968/04-01-2000	700/23-06-2017
4.	भावना सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1992/19-07-2000	700/23-06-2017
5.	भोलेनाथ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2103/17-01-2003	700/23-06-2017
6.	भविष्य सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2515/16-11-2011	700/23-06-2017
7.	चित्रगुप्त सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2489/10-02-2011	700/23-06-2017
8.	दि राजकुमार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	0549/23-08-1932	700/23-06-2017
9.	धनश्री सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1125/16-12-1991	700/23-06-2017
10.	दि सिद्धेश्वर सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2170/11-02-2005	700/23-06-2017
11.	द्वारकेश सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1443/	700/23-06-2017
12.	ज्ञान सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2076/06-05-2002	700/23-06-2017
13.	ग्रीन गो सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2523/14-06-2012	700/23-06-2017
14.	गुड वेल्थ सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2542/21-06-2012	700/23-06-2017
15.	इन्दौर नायर क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1853/31-07-1997	700/23-06-2017
16.	इन्दौर कमर्शियल क्रेडिट सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2353/01-02-2008	700/23-06-2017
17.	जीवन संग्रह सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1531/16-04-1994	700/23-06-2017
18.	जय झूलेलाल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2476/22-09-2011	700/23-06-2017
19.	जेमेनी महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2395/18-02-2009	700/23-06-2017
20.	जय माँ अम्बे महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	2342/18-07-2008	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 25 नवम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1484.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्माकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निर्माकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., दौलतगंज	077/05-09-2013	700/23-06-2017
2.	जैविक किरण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	099/05-09-2013	700/23-06-2017
3.	आदर्श हरिजन मछुआ सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	793/15-10-1994	700/23-06-2017
4.	जलकृषि मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	802/10-11-1984	700/23-06-2017
5.	श्री गोडिया कहार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	258/25-05-1963	700/23-06-2017
6.	इन्दौर मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	071/02-09-2052	700/23-06-2017
7.	नवजीवन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1951/19-12-1995	700/23-06-2017
8.	माँझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., जामनिया खुर्द	2001/07-11-2000	700/23-06-2017
9.	आदिवासी मत्स्योद्योग मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याखुर्द	2110/04-03-2003	700/23-06-2017
10.	माँ भड़कली अनुसूचित जनजाति मछली पालन सहकारी संस्था मर्या., नाहरखेडी, तहसील महु	2157/01-07-2004	700/23-06-2017
11.	श्री लक्ष्मी मछलीपालन सहकारी संस्था मर्या., पंचाखेडी जिहोद, तहसील महु	2169/29-11-2004	700/23-06-2017
12.	विंध्याचल अ. ज. जा. मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., बुजुर्ग मेण	2159/06-08-2004	700/23-06-2017
13.	माँ बंजारी देवी जल कृषि मछली सहकारी संस्था मर्या., शिवनी	2335/26-06-2007	700/23-06-2017
14.	जल कृषि मत्स्योद्योग हरिजन सहकारी संस्था मर्या., बाबल्या	2380/26-06-2008	700/23-06-2017
15.	जल कृषि मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिलावली तालाब, खण्डवा रोड, रालामण्डल, इन्दौर.	2417/05-09-2009	700/23-06-2017
16.	श्री लक्ष्मी अनुसूचित जाति वर्ग मत्स्यपालन सह. संस्था, खेमाना	2620/22-10-2013	700/23-06-2017
17.	न्यू मालवा हेण्डलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	869/08-02-1988	700/23-06-2017
18.	महिला आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	839/10-12-1983	700/23-06-2017
19.	इन्दौर बुनकर कॉटन हेण्डलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	0127/.....1990	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के

पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1757)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1527.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1281/20-05-1994	700/23-06-2017
2.	प्रगतिशील महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1381/27-05-1994	700/23-06-2017
3.	निमिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1335/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	महावीर महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1336/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1359/27-05-1994	700/23-06-2017
6.	माया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1557/25-06-1994	700/23-06-2017
7.	जय करोली माँ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1594/19-07-1994	700/23-06-2017
8.	देवी इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1278/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	लिली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1627/10-08-1994	700/23-06-2017
10.	एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1455/07-05-1994	700/23-06-2017
11.	गरिमा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1591/15-07-1994	700/23-06-2017
12.	चन्द्रकान्ता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1392/26-05-1994	700/23-06-2017
13.	शीला महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1517/16-06-1994	700/23-06-2017
14.	माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1991/12-07-2000	700/23-06-2017
15.	प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1257/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	माँ भवानी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1523/20-06-1994	700/23-06-2017
17.	मुस्कान महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2349/14-01-2008	700/23-06-2017
18.	माँ वैभव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1208/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1333/27-05-1994	700/23-06-2017
20.	माँ नारायणीदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1506/15-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख

तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षान्वित होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1758)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1528.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ पावागढ़ महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1315/26-05-1994	700/23-06-2017
2.	माँ ज्वाला जी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1338/27-05-1994	700/23-06-2017
3.	खुशबू महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1342/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	राहुल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1370/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	माँ गायत्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1394/01-06-1994	700/23-06-2017
6.	श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1397/04-06-1994	700/23-06-2017
7.	माँ वैष्णोदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1441/04-06-1994	700/23-06-2017
8.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1514/16-06-1994	700/23-06-2017
9.	श्री कृपा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1611/27-07-1994	700/23-06-2017
10.	जयश्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1694/22-01-1995	700/23-06-2017
11.	पूजा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1218/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	श्री महाकाली महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1260/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	महादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1317/26-05-1994	700/23-06-2017
14.	दिव्यांश महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1414/03-06-1994	700/23-06-2017
15.	पूज्य दुर्गादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1276/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	जनसेवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1491/13-06-1994	700/23-06-2017
17.	निर्माण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2151/07-06-1994	700/23-06-2017
18.	यादव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1244/20-05-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
19.	कपिल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1295/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	रजनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1460/07-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेंक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1759)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1529.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1569/01-07-1994	700/23-06-2017
2.	अपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1354/27-06-1994	700/23-06-2017
3.	जय बजरंग महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1374/27-05-1994	700/23-06-2017
4.	सुमन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1387/27-05-1994	700/23-06-2017
5.	माँ वैष्णोदेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1398/01-06-1994	700/23-06-2017
6.	जागेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1576/07-07-1994	700/23-06-2017
7.	श्रमिक क्षेत्र महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1637/18-08-1994	700/23-06-2017
8.	माँ कौशल्या देवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1275/20-05-1994	700/23-06-2017
9.	जागृति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1442/04-06-1994	700/23-06-2017
10.	आकृति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1385/27-05-1995	700/23-06-2017
11.	किरण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1528/23-05-1994	700/23-06-2017
12.	माँ अन्नपूर्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1606/25-07-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
13.	समृद्धि महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1463/07-06-1994	700/23-06-2017
14.	सुरभी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1697/01-02-1994	700/23-06-2017
15.	प्रगति महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1243/02-05-1994	700/23-06-2017
16.	गीता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1246/02-05-1994	700/23-06-2017
17.	शुभलक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1298/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	माँ शारदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1474/09-06-1994	700/23-06-2017
19.	इंदिरा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1255/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1363/07-05-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1760)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1530.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	भारत माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1248/20-05-1994	700/23-06-2017
2.	अग्रोहा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1521/22-06-1994	700/23-06-2017
3.	श्री लक्ष्मी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2363/15-02-2008	700/23-06-2017
4.	मृगनयनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1266/20-05-1994	700/23-06-2017
5.	रत्न महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1431/04-06-1994	700/23-06-2017
6.	निकिता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1601/19-07-1994	700/23-06-2017

1	2	3	4
7.	भावना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1675/28-12-1994	700/23-06-2017
8.	वैदिका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2348/14-01-2008	700/23-06-2017
9.	अग्रसेन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1245/20-05-1994	700/23-06-2017
10.	माँ गायत्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1433/04-06-1994	700/23-06-2017
11.	जया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1534/25-06-1994	700/23-06-2017
12.	महामाया महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1311/26-05-1994	700/23-06-2017
13.	माँ नर्मदा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1559/25-05-1994	700/23-06-2017
14.	सपना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1223/20-05-1994	700/23-06-2017
15.	इंदिरा प्रियदर्शनी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1581/08-07-1994	700/23-06-2017
16.	अर्चना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2350/17-01-2008	700/23-06-2017
17.	भाग्य श्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1292/20-05-1994	700/23-06-2017
18.	जीण माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1304/20-05-1994	700/23-06-2017
19.	गीतेश्वरी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1393/27-05-1994	700/23-06-2017
20.	दिपीका महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1462/07-06-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेंक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1761)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1531.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कृष्ण महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1715/28-03-2005	700/23-06-2017

1	2	3	4
2.	भारतीय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1331/27-08-1994	700/23-06-2017
3.	अरूणा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1446/04-06-1994	700/23-06-2017
4.	माँ अहिल्या महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1717/08-03-1995	700/23-06-2017
5.	भारतीय महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1283/20-05-1994	700/23-06-2017
6.	भागीरथी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1430/04-06-1994	700/23-06-2017
7.	एकता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1638/14-08-1994	700/23-06-2017
8.	श्री साईराम महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2355/04-02-2008	700/23-06-2017
9.	केशव महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2358/12-02-2006	700/23-06-2017
10.	श्रीराम कृपा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	2388/13-02-2008	700/23-06-2017
11.	नवजीवन महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1200/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	माँ वैष्णवी महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1211/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	प्राची महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1352/27-05-1994	700/23-06-2017
14.	माँ चामुण्डा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1401/02-06-1994	700/23-06-2017
15.	सद्भावना महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1418/03-06-1994	700/23-06-2017
16.	सप्तशती महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1432/04-06-1994	700/23-06-2017
17.	जयश्री महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1565/01-07-1994	700/23-06-2017
18.	शीतल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1215/02-05-1994	700/23-06-2017
19.	महोकाल महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1264/20-05-1994	700/23-06-2017
20.	शीतला माता महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., इन्दौर	1364/27-05-1994	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेंक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/ओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(1762)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1532.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि

सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रमेश महिला प्रा. उपभोक्ता भण्डार सोनवाय/पिवडाय	2474/12-01-2011	700/23-06-2017
2.	श्री श्रद्धा प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., छोटा बोंगडदा	2487/09-02-2011	700/23-06-2017
3.	तरंग प्राथमिक सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2522/13-03-2012	700/23-06-2017
4.	गुरुदेव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2564/31-12-2012	700/23-06-2017
5.	श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2565/31-12-2012	700/23-06-2017
6.	जय श्रीकृष्ण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2566/31-12-2012	700/23-06-2017
7.	माँ अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., मुसाखेडी	2621/23-05-2013	700/23-06-2017
8.	सौम्य प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., प्रजापत नगर	2642/20-02-2013	700/23-06-2017
9.	जनकार्य प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
10.	हुकुमचन्दमिल्स कर्मचारी परस्पर स. उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	-	700/23-06-2017
11.	माँ काली महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1210/20-05-1994	700/23-06-2017
12.	प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1226/20-05-1994	700/23-06-2017
13.	जयबजरंग नगर महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1294/20-05-1994	700/23-06-2017
14.	श्री विनायक महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1299/20-05-1994	700/23-06-2017
15.	माँ सती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1302/20-05-1994	700/23-06-2017
16.	माँ आवरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1485/10-06-1994	700/23-06-2017
17.	कराल वन्दन (नवज्योति) महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1516/16-06-1994	700/23-06-2017
18.	मंजू महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1355/25-06-1994	700/23-06-2017
19.	वन्दना महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1352/01-06-2004	700/23-06-2017
20.	श्री अन्नपूर्णा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	1008/29-07-1944	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यक्षता करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1533.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशांसा के अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय माँ दुर्गा प्राथमिक भण्डार मर्या., देपालपुर	2143/08-03-2000	700/23-06-2017
2.	जय गिरनारी प्राथमिक भण्डार मर्या., इन्दौर	2359/12-02-2008	700/23-06-2017
3.	लक्ष्मी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2317/30-03-2007	700/23-06-2017
4.	मर्यादा पुरुषोत्तम प्राथमिक भण्डार मर्या., इन्दौर	2181/11-10-2005	700/23-06-2017
5.	मध्यभारत को-ऑप. कन्जयुमर्स स्टोर, इन्दौर	2132/19-12-2003	700/23-06-2017
6.	प्रताप को-ऑप. स्टोर मर्या., इन्दौर	206/26-03-1963	700/23-06-2017
7.	पुरुषार्थ को-ऑप. स्टोर मर्या., इन्दौर	2373/15-04-2008	700/23-06-2017
8.	ऋषि पैलेस प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2367/14-03-2008	700/23-06-2017
9.	गुरू गोरक्षनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2327/24-07-2008	700/23-06-2017
10.	संजरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2339/28-07-2007	700/23-06-2017
11.	स्वास्तिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2362/05-02-2008	700/23-06-2017
12.	सुशीलादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2186/10-01-2005	700/23-06-2017
13.	शिवशक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2366/12-03-2008	700/23-06-2017
14.	श्रवण प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2371/24-03-2008	700/23-06-2017
15.	श्री साईनाथजी महाराज प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2390/29-01-2009	700/23-06-2017
16.	सद्गुरू दत्त प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2494/29-01-2009	700/23-06-2017
17.	माँ दुर्गाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2439/19-03-2010	700/23-06-2017
18.	यश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., इन्दौर	2142/27-02-2004	700/23-06-2017
19.	अहिरखेडी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., अहिरखेडी	2383/30-08-2008	700/23-06-2017
20.	माँ कल्याणी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., बाँगडदा	2462/16-09-2010	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं/अंकों का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के

पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(1764)

इन्दौर, दिनांक 07 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क)(1) के अंतर्गत]

क्र./गृह.-विधि/2017/1534.—कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्दौर संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 700, दिनांक 23 जून, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर निर्माकित सहकारी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया था कि सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता, जिला इन्दौर एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04 मार्च, 2017 से की गई अनुशंसा के अनुसार निर्माकित सहकारी संस्थाएं, जिनका विवरण दर्ज है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुमठा	680/14-10-1982	700/23-06-2017
2.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., गोकलपुर	673/14-10-1982	700/23-06-2017
3.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., बछोडा	685/14-10-1982	700/23-06-2017
4.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., टाकून	665/07-06-1984	700/23-06-2017
5.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., बिरगोदा	882/01-10-1986	700/23-06-2017
6.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., औरंगपुरा	834/08-10-1986	700/23-06-2017
7.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., बिचौली मर्दाना	848/26-06-1987	700/23-06-2017
8.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कराडिया	853/26-06-1987	700/23-06-2017
9.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., धानखेडी	1079/02-08-1991	700/23-06-2017
10.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., मकोडिया	1164/30-03-1993	700/23-06-2017
11.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कलमेर	1088/02-08-1993	700/23-06-2017
12.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., कोंकरिया बोर्डिया	883/01-10-1986	700/23-06-2017

उपरोक्त उल्लेखित संस्थाएं विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर वित्तीय पत्रकों में की जा रही पुनरावृत्ति एवं सतत अंकेक्षण में “द” वर्गीकृत किए जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के तहत वित्तीय पत्रकों की संपरीक्षा सतत रूप से नहीं करने अकार्यशील, बंद रहने, नियुक्त विभागीय प्रशासकों एवं प्रभारी अधिकारियों को संस्था का प्रभार उपलब्ध नहीं कराने, अभिलेख तथा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने की वजह से तथा जिस प्रयोजन/उद्देश्य से संस्था गठित की जाकर पंजीकृत की गई थी, उस उद्देश्य/प्रयोजन के तहत सदस्यों के हित संवर्धन के प्रति पूर्णतः उपेक्षावान होने की वजह से और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 पंजीकृत उपविधियों तथा विभागीय निर्देशों के पालन में सतत रूप से असफल रहने से, साथ ही साथ संस्था अपने पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं रहने, संचालक मण्डल की बैठकों की सूचना नहीं देने, वार्षिक साधारण सभा का आयोजन प्रतिवर्ष नहीं करने तथा नियमानुसार निर्वाचन नहीं करने के कारण उपरोक्त वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरंतर बनाए रखना विधि संगत नहीं पाते हुए, यह सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के तहत जारी कर उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं समस्त संबंधित पक्षकार से यह अध्यपेक्षा करता हूँ कि वे इस जारी सूचना-पत्र के संबंध में अपना पक्ष यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2018 को दोपहर 12: 00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

अभय खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(1765)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, जिला शिवपुरी	109/20-07-1956	2436/11-12-2012

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1770)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., समूहा नरवर, जिला शिवपुरी	730/08-12-2016	1914/24-07-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1784)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजरौनी, जिला शिवपुरी	491/19-04-2004	850/01-04-2015

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1771)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर

मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मुस्कान ईंधन सहकारी संस्था शिवपुरी, जिला शिवपुरी	453/04-07-2008	707/06-04-2016

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1772)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	राधाकृष्ण प्रिंटिंग एवं प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी	569/24-05-2011	709/06-04-2016

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1773)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीराम औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बदरबास, जिला शिवपुरी	666/29-03-2016	261/26-10-2016

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1774)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर

मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तालभेव, जिला शिवपुरी	-	-

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1775)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., करमई कोलारस, जिला शिवपुरी	62/24-04-1953	2420/11-12-2012

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1776)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कोलारस, जिला शिवपुरी	156/30-12-1986	112/15-01-2013

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1777)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श खाद बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, जिला शिवपुरी	171/11-07-1955	2435/11-12-2012

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1778)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., सेसई, जिला शिवपुरी	-	-

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1779)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ठगोसा पोहरी, जिला शिवपुरी	739/01-03-2017	1919/24-07-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(1780)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरधार पोहरी, जिला शिवपुरी	735/03-12-2016	1917/24-07-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1781)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोंदा पोहरी, जिला शिवपुरी	737/01-03-2017	1916/24-07-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1782)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भौंती क्र.2 पिछोर, जिला शिवपुरी	732/08-12-2016	1294/06-05-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1783)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भौंती पिछोर, जिला शिवपुरी	731/08-12-2016	1913/24-07-2017

अतः उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें।

यह सूचना आज दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

राकेश सिंह चौहान,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(1785)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 14 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1175.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आजाद कृषि उप. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	157/08-12-2002	675/12-06-2017
2.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., परा	20/14-01-2003	675/12-06-2017
3.	भवन सामग्री निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुम्हरोआ	334/17-11-1983	675/12-06-2017
4.	लक्ष्मी ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अकोड़ा	326/23-03-1983	675/12-06-2017
5.	काष्ठ कला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	219/27-03-1968	675/12-06-2017
6.	गांधी रेडीमेड उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	335/31-12-1983	675/12-06-2017
7.	ढलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	272/26-02-1976	675/12-06-2017
8.	आदर्श महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	287/26-02-1976	675/12-06-2017
9.	लक्ष्मी तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नयागांव	433/12-11-1966	675/12-06-2017
10.	चंबल घाटी महिला सि. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	2578/12-11-1966	675/12-06-2017
11.	आजाद पत्थर सिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	658/14-04-1989	675/12-06-2017
12.	आदर्श बुक बायडिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	112/09-08-1987	675/12-06-2017
13.	गनेश ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	129/30-08-1989	675/12-06-2017
14.	आदर्श नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	717/18-01-1986	675/12-06-2017
15.	धातु काष्ठ कला वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	240/31-10-2002	675/12-06-2017
16.	गणेश बुद्ध काष्ठ स्टीलन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	552/17-04-1988	675/12-06-2017
17.	मडिन टेलीरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	554/23-04-1989	675/12-06-2017
18.	इन्द्र ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खोउन	423/16-06-1996	675/12-06-2017
19.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अंगदपुरा	1130/30-06-2006	675/12-06-2017
20.	समता उद्योग स्वा. सहकारिता मर्या., अकोड़ा	326/23-03-1983	675/12-06-2017
21.	दुर्गा औद्योगिक स्वा. सहकारिता मर्या., फूप	21/17-10-2002	675/12-06-2017
22.	जय भवानी चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., परा	728/16-06-1996	675/12-06-2017
23.	नीरज कुमार प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	2075/27-08-2014	675/12-06-2017
24.	नारदेश्वर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	2062/27-08-2014	675/12-06-2017
25.	अभिषेक सिंह प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भीमनगर भिण्ड	2035/26-08-2014	675/12-06-2017
26.	चन्द्रशेखर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., युदनाथ नगर, भिण्ड	102/28-02-2004	675/12-06-2017
27.	अरल प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अरोरा फाम, भिण्ड	104/28-02-2004	675/12-06-2017
28.	गौरी सरोवर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	163/07-10-2004	675/12-06-2017
29.	दिगम्बर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., गोहद चौक	72/10-02-2004	675/12-06-2017
30.	प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	143/21-07-2004	675/12-06-2017

1	2	3	4
31. प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अकोड़ा		61/30-12-2003	675/12-06-2017
32. प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड		121/06-04-2004	675/12-06-2017
33. स्व. हरभजन लाल प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., फूप		81/24-02-2004	675/12-06-2017
34. श्रीराम प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., फूप		60/30-12-2003	675/12-06-2017
35. डॉ. के. बी. हेडगेवार प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., फूप		73/10-02-2004	675/12-06-2017
36. शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड		434/08-12-1986	675/12-06-2017
37. इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड		04/10-01-1972	675/12-06-2017

अतः मैं, माताप्रसाद, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

माताप्रसाद,

(1734)

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 14 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1178.—सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विरखड़ी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	162/25-10-1964	674/12-06-2017
2.	उर्मिला प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	989/04-06-1911	674/12-06-2017
3.	प्रियंका गांधी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	774/31-07-1999	674/12-06-2017
4.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	899/31-12-2004	674/12-06-2017
5.	अलीसा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	130/19-05-2004	674/12-06-2017
6.	माँ शारदा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	82/24-02-2004	674/12-06-2017
7.	अनुसुईया प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	78/16-02-2004	674/12-06-2017
8.	महावीर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	77/16-02-2004	674/12-06-2017
9.	शिवा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रौन	113/01-03-2004	674/12-06-2017
10.	दाऊजी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	148/02-08-2004	674/12-06-2017
11.	उगाई खेरा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	150/16-08-2004	674/12-06-2017
12.	गिराज प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	156/23-09-2004	674/12-06-2017
13.	जय कांक्सी सरकार प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	161/28-09-2004	674/12-06-2017

1	2	3	4
14.	जय शंकर प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मिहोना	171/12-10-2004	674/12-06-2017
15.	गांधी कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मिहोना	1463/12-05-1970	674/12-06-2017
16.	अम्बेडकर चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मिहोना	8987/27-12-1978	674/12-06-2017
17.	आदर्श काष्ठ कला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रौन	249/03-03-1973	674/12-06-2017
18.	चमत्कार चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेंहदा	723/28-03-1996	674/12-06-2017
19.	प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मिहोना	2089/17-09-2000	674/12-06-2017
20.	सुभाष बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मेंहदा	111/11-04-1963	674/12-06-2017
21.	कम्बल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., नौधा	195/22-06-1966	674/12-06-2017
22.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अचलपुरा	895/12-04-2004	674/12-06-2017
23.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मानगढ़	870/12-08-1999	674/12-06-2017
24.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पचौखरा	942/23-06-2006	674/12-06-2017
25.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुरा	926/20-12-2005	674/12-06-2017
26.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मछण्ड	747/10-10-1998	674/12-06-2017
27.	रामजानकी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बसंतपुरा	749/19-08-1999	674/12-06-2017
28.	आदर्श उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., मेंहदा	284/20-04-1974	674/12-06-2017
29.	सर्वोदय श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., रौन	690/07-07-1993	674/12-06-2017
30.	अनु. जाति श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., बसन्तपुरा	691/07-07-1993	674/12-06-2017
31.	सतीमाता अनु. जाति श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मेंहदा	716/12-12-1995	674/12-06-2017
32.	बजरंग अनु. जाति श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., निवसाई	768/29-01-1996	674/12-06-2017
33.	अम्बेडकर चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोंहार	309/01-11-1985	948/29-08-2017
34.	धातु काष्ठ कला सहकारी संस्था मर्या., गितोर	187/20-07-1965	948/29-08-2017
35.	राजीव गांधी चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मनेपुरा	724/28-03-1996	948/29-08-2017
36.	प्राण प्रतिष्ठा सेनटरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मेंहगाँव	769/25-08-2000	948/29-08-2017
37.	महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., हुकुम सिंह का पुरा	906/09-03-2005	948/29-08-2017
38.	राधा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिलोली	902/01-03-2005	948/29-08-2017
39.	शीतला महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पोरसा	903/01-03-2005	948/29-08-2017
40.	पार्वती महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अरेले का पुरा	905/01-03-2005	948/29-08-2017
41.	महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., घिलौआ	908/18-03-2005	948/29-08-2017

अतः मै, आर. के. जैन, सोहाने, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियाँ प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड बही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(1735)

आर. के. जैन सोहाने,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017-अग्रहायण 24, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 जून, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, (मुरैना), अटेर, भिण्ड, रौन-मिहोना (भिण्ड), घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, खनियाधाना, करैरा, बदरवास (शिवपुरी), ईशागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), पृथ्वीपुर, जतारा, वलदेवगढ़, ओरछा, (टीकमगढ़), गौरीहार, छतरपुर, विजावर, बडामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), गढ़ाकोटा, केसली, मालथोन (सागर), पथरिया (दमोह), मझगवां, नागोद, उचेहरा, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), सिरमोर (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदबनास, रामपुरनैकिन (सीधी), महिदपुर (उज्जैन), थांदला (झाबुआ), अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, धरमपुरी, डही (धार), बड़वानी, ठीकरी, सेंधवा, पाटी (बड़वानी), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा, पचोर (राजगढ़), श्यामपुर (सीहोर), खिरकिया, टिमरिनी (हरदा), कुण्डम, सीहोरा (जबलपुर), तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), नारायणगंज (मण्डला), खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील जौरा, कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), गोहद, मेहगांव, (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), पोहरी (शिवपुरी), मुँगावली, चंदेरी (अशोकनगर), बम्होरी (गुना), पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव, लवकुशनगर, राजनगर, बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पबई, शाहनगर (पन्ना), सागर-बीना, रेहली, देवरी, शाहगढ़ (सागर), हटा, दमोह (दमोह), अमरपाटन, रामनगर (सतना), रामपुरकर्चुलियान (रीवा), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गरोट, श्यामगढ़ (मंदसौर), मनासा (नीमच), शुजालपुर, कालापपील, गुलाना (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), कुच्छी, मनावर (धार), निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बैरागढ़ (भोपाल), आष्टा, जावर (सीहोर), गोहरगंज, सिलवानी (रायसेन), बाबई (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), जबलपुर, मझोली (जबलपुर), निवास (मण्डला), उमरेठ (छिन्दवाड़ा), गुलई, घनोरा (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील कराहल (श्योपुर), ग्वालियर (ग्वालियर), राघोगढ़, चांचोड़ा, कुम्भराज (गुना), निवाड़ी (टीकमगढ़), बटियागढ़, जवेरा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुर-बधेलान (सतना), त्योंथर (रीवा), सोहागपुर, जयसिंहनगर

(शहडोल), जेतहारी (अनूपपुर), चुरहट (सीधी), सीतामऊ, संजीत (मंदसौर), खाचरोद (उज्जैन), मोमनबड़ोदिया, शाजापुर (शाजापुर), चंद्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), गंधवानी (धार), कसरावद (खरगोन), पानसेमल (बड़वानी), बैरसिया (भोपाल), सीहोर (सीहोर), चिचोली, आठनेर (बैतूल), बनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), गोटेगांव, करेली, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, घुघरी (मण्डला), बजांग (डिण्डोरी), तामिया (छिन्दवाड़ा), बारासिवनी, कटंगी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील विजयपुर (शयोपुर), पिछोर (शिवपुरी), गुना, आरोन (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), खुरई, बण्डा, राहतगढ़ (सागर), तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), मऊगंज, हुजूर, गुढ (रीवा), ब्योहारी, बुढार, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मझोरी, कुसमी (सीधी), सुबासरा, भानपुरा, मल्हारगढ़, मंदसौर, धुंधडक्का, कयामपुर (मंदसौर), जावद, नीमच (नीमच), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), बड़नगर, नागदा (उज्जैन), जोवट, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वाह, महेश्वर, सेगांव, गोगावां, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी, सीहोर (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज बरेली, बाड़ी उदयपुरा (रायसेन), बैतूल, भैंसदेही, घोड़ा डोंगरी, शाहपुर, मुलताई, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, इटारसी, सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), पाटन (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डौरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, सौंसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड, हरई, चांद, पांढुर्ना, जुन्नारेदव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, किरनापुर, बैहर, लालवर्वा, विरसार, बालाघाट में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई.**- जिला मुरैना, शयोपुर, ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, देवास, झाबुआ, खण्डवा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, सिवनी, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू है। तथा चौपाना व शाहपुरा क्षेत्र जिला बैतूल में बालाघाट में धान रोपाई कार्य चालू है।

3. **बोनी.**- जिला मुरैना, शयोपुर, ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, देवास, झाबुआ, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, डिण्डौरी, छिन्दवाड़ा में कहीं-कहीं पर बोनी कार्य चालू है।

4. **फसल स्थिति-** जिला नरसिंहपुर में पानी से पांच से 10 प्रतिशत नैत्रांकन के आधार पर फसल प्रभावित हुई है।

5. **कटाई.**- . .

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, सिवनी, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 जून, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. बोनी चालू.	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	15.0 3.0 17.0 22.0 26.0 30.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	22.0 36.0 77.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	5.0 10.1 18.0 22.1 . . 8.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू, धान रोपाई चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	35.0 18.2 . . 8.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	13.0 57.0 8.0 . . 17.0 . . 33.0 4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	33.0		4. (1) उड़द, मक्का समान. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	11.0				
3. अशोकनगर	16.0				
4. चन्देरी	21.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य एवं बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	62.2		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मुँगा मक्का. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	50.0				
3. बमोरी	19.0				
4. आरोन	64.0				
5. चाचौड़ा	37.0				
6. कुम्भराज	51.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	40.0		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	3.0				
3. जतारा	6.0				
4. टीकमगढ़	79.0				
5. बल्देवगढ़	9.0				
6. पलेरा	27.0				
7. ओरछा	5.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	11.0				
3. नौगांव	25.0				
4. छतरपुर	7.6				
5. राजनगर	29.4				
6. बिजावर	1.0				
7. बड़ामलहरा	3.0				
8. बक्सवाहा	23.0				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	11.0		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	27.2				
3. गुन्नौर	22.9				
4. पवई	32.0				
5. शाहनगर	34.3				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	20.0		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	101.7				
3. बण्डा	95.0				
4. सागर	107.4				
5. रेहली	29.0				
6. देवरी	20.0				
7. गढ़ाकोटा	13.6				
8. राहतगढ़	103.0				
9. केसली	17.0				
10. मालथोन	12.4				
11. शाहगढ़	25.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	33.0		4. (1) गन्ना, मूँग, जायद, उड़द, जायद.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	40.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	23.0				
4. पथरिया	7.0				
5. जवेरा	46.0				
6. तेन्दूखेड़ा	74.8				
7. पटेरा	104.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	38.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	37.0				
4. नागौद	5.0				
5. उचेहरा	16.0				
6. अमरपाटन	23.0				
7. रामनगर	22.0				
8. मैहर	13.0				
9. बिरसिंहपुर	11.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	38.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	102.0				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	70.5				
6. गुढ़	104.4				
7. रायपुरकर्चुलियान	23.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	52.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बुड़ार	54.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. ब्यौहारी	85.0				
4. जैसिहनगर	51.5				
5. गोहपारू	88.0				
6. जैतपुर	72.2				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	36.5		4. (1) मक्का, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	13.0		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	34.6				
4. पुष्पराजगढ़	66.1				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	31.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	17.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	20.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	15.0		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	57.0				
4. कुसमी	60.0				
5. चुरहट	40.2				
6. रामपुरनैकिन	11.9				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासराटप्पा	87.4		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	93.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	104.0				
4. गरोठ	26.0				
5. मंदसौर	54.0				
6. श्यामगढ़	34.0				
7. सीतामऊ	52.8				
8. धुंधडक्का	106.0				
9. संजीत	48.0				
10. कयामपुर	56.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	67.3		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	37.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	31.0				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	124.8		4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रावटी	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. आलोट	108.0				
4. ताल	102.8				
5. सैलाना	120.0				
6. बाजना	147.0				
7. पिपलोदा	157.8				
8. रतलाम	97.8				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	148.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	44.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	118.0				
4. घटिया	136.0				
5. उज्जैन	119.0				
6. बड़नगर	113.0				
7. नागदा	118.0				
*25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4.(1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	50.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	44.8		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	31.0				
4. कालापिपल	30.0				
5. गुलाना	22.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू,	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	3.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	75.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	7.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	14.0				
4. सोंडवा	26.0				
5. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	14.8		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	1.0		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	7.8				
4. कुक्षी	32.0				
5. मनावर	20.0				
6. धरमपुरी	11.0				
7. गंधवानी	53.0				
8. डही	12.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	56.0		4. (1) मक्का, तुअर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	159.0		ज्वार, धान, बाजरा, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	70.0		मूँगफली, गेहूँ, अलसी,		
4. खरगौन	105.7		राई-सरसों कम.		
5. गोगावां	68.0		(2) सामान्य.		
6. कसरावद	51.0				
7. भगवानपुरा	77.0				
8. भीकनगांव	149.0				
9. झिरन्या	120.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बड़वानी	2.4		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	5.4		(2) गन्ना, मक्का, ज्वार, अधिक. कपास समान.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	10.0				
5. पानसेमल	39.0				
6. पाटी	12.4				
7. निवाली	92.0				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. पुनासा	. .				
4. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	27.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	34.4		(2) . .		
3. नेपानगर	56.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	12.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	7.8		(2) . .		
3. राजगढ़	2.3				
4. ब्यावरा	8.6				
5. सारंगपुर	57.0				
6. पचोर	12.0				
7. नरसिंहगढ़	24.5				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, धान, सन, चरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) समान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू, जुताई चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	49.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	17.0		(2) . .		
3. आष्टा	31.0				
4. जावरा	134.3				
5. इच्छावर	123.0				
6. नसरुल्लागंज	135.0				
7. रेहटी	96.0				
8. बुधनी	83.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	56.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	73.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	33.0				
4. गोहरगंज	31.0				
5. बरेली	120.6				
6. सिलवानी	31.0				
7. बाड़ी	70.0				
8. उदयपुरा	65.6				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	77.6	(ब) चौपना, शाहपुर,	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	149.0	क्षेत्र में धान रोपाई का	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	92.2	कार्य किया जाता है.			
4. चिचोली	41.7				
5. बैतूल	93.9				
6. मुलताई	66.8				
7. आठनेर	51.4				
8. आमला	94.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	63.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	53.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	23.0				
4. इटारसी	54.0				
5. सोहागपुर	67.0				
6. पिपरिया	82.2				
7. बनखेड़ी	48.6				
8. पचमढ़ी	50.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. हरदा	25.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	6.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	8.4				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	7.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	56.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	18.6				
4. मझोली	29.5				
5. कुण्डमपुर	16.4				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी चालू.	3. पानी की कमी से छह हल्कों में नैत्रांकन के आधार पर 5 से 10 % प्रभाव हुआ है.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	48.0			6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	53.0				
3. नरसिंहपुर	108.0		4. (1) तुअर, धान अधिक. सोयाबीन गन्ना कम.		
4. गोटेगांव	48.0		(2) ..		
5. तेंदूखेड़ा	10.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	24.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	41.9		(2) ..		
3. नैनपुर	83.0				
4. मण्डला	70.1				
5. घुघरी	40.6				
6. नारायणगंज	16.7				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	70.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	51.7		(2) ..		
3. शाहपुरा	100.8				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	65.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मोहखेड़ा	130.2		(2) ..		
3. जुन्नारदेव	97.8				
4. चांद	106.6				
5. परासिया	168.0				
6. उमरेठ	31.8				
7. तामिया	37.0				
8. सोंसर	66.4				
9. पांडुर्णा	124.4				
10. अमरवाड़ा	144.6				
11. चौरई	96.2				
12. बिछुआ	59.9				
13. हरई	57.0				
14. बोलखेड़ा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	109.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	62.2		(2) ..		
3. लखनादोन	137.0				
4. बरघाट	138.3				
5. कुरई	23.0				
6. घंसोर	116.4				
7. घनोरा	28.2				
8. छपारा	53.4				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. कहीं-कहीं पर धान रोपाई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	87.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खैरलाँजी	9.0		(2) ..		
3. लाँजी	30.4				
4. बैहर	55.0				
5. वारासिवनी	52.7				
6. कटंगी	37.1				
7. किरनापुर	78.0				
8. लालबरी	101.0				
9. बिरसा	129.8				
10. परसवाड़ा	36.2				

टीप :- जिला आगर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1785)